"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2012—पौष 16, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/30/2011-एआईएस (I), दिनांक 15-11-2011 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-5 (2) के अंतर्गत श्री निखिल गजराज, भा.प्र.से. (RR : 2008) की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से हरियाणा राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्रमांक 2389/2590/2011/1-8.—इस विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-1/2011/एक/4, दिनांक 25-11-2011 द्वारा श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पदस्थापना सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर के पद पर हो जाने के फलस्वरूप, उन्हें नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30-11-2011 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1662/850/अव./2011/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 5-12-2011 से 16-12-2011 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4, 17 एवं 18-12-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक 1663/859/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त योजना विभाग को दिनांक 21-11-2011 से 26-11-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19, 20 एवं 27-11-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक-एफ 7-38/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गण्डई निवेश क्षेत्र, जिला राजनांदगांव का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

गण्डई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बुढ़ासागर, देवपुरा, भुरभुसी एवं गोकना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गोकना, हनईबन एवं ठंडार ग्रामों की पूर्वी सीमा तक

दक्षिण में : ग्राम ठंडार एवं चकनार ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चकनार, पण्डरिया, कृतबांस एवं बुढ़ासागर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक-एफ 7-38/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरगांव निवेश क्षेत्र, जिला बिलासपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

सरगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम धमनी, खम्हारडीह, मोहदा, भोजपुरी एवं डोकलाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डोकलाडीह, सल्फा एवं करही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम करही, मोहभट्ठा एवं सांवा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सांवा, लोहदा, खपरी एवं धमनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक-एफ 7-39/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पथरिया निवेश क्षेत्र, जिला बिलासपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

पथरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भीमपुरी, पथरिया, लौदापारा, चोरभट्ठी एवं डगनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डगनिया, जुनवानी, दलपुरवा एवं देवरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम देवरी, भरेवा, पीड़ा, पुटपुरा, पथरगढ़ी एवं सकेरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम सकेरी, भठली, सिलतरा, लछनपुर एवं भीमपुरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-72/दो/गृह/परीक्षा/2011.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "प्रक्रिया प्रश्नपत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण
2.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2012 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-107/दो-गृह/परीक्षा/2011.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 09 जनवरी, 2012 से 16 जनवरी, 2012 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 09-01-2012

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

सोमवार, दिनांक 09-01-2012

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 10-01-2012

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	

(1)	(2)	(3)
11	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 10-01-2012	
15	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 11-01-2012	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 11-01-2012

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 12-01-2012

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 12-01-2012

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 13-01-2012

45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 13-01-2012

51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

सोमवार, दिनांक 16-01-2012

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 23-12-2011 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 9-60/गृह-दो-परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में

आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी में निम्नांकित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री दयाराम कश्यप	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-70/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03-08-2011 को प्रश्नपत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुशील कुमार सोनवानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री हर्षित मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	सुश्री रिंकी जंघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री प्रशांत शुक्ला	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
5.	श्री हिमांशु गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-78/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-84/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2011 को प्रश्न पत्र "प्रथम लेखा" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बरखा कासू	फिजियो थैरैपिस्ट	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-95/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2011 को प्रश्न पत्र-2 "लेखा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण
2.	श्री उमेश कुमार सिंह	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-97/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "प्रक्रिया तथा लेखा" प्रश्नपत्र-3 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री पुष्पलता	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री व्ही. एन. नाग	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री सुदर्शन खलखो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-99/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 06 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री सुदर्शन खलखो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-103/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 02 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र-4 "लेखा व स्थापना" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री सुरेश कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री बंशी लाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-62/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बरखा कासू	फिजियो थेरेपिस्ट	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	सुश्री ऊषा कुमारी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री अनुसुइया भिमटे	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री ऊषा मंडावी	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-69/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 02 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री बरखा कासू	फिजियो थेरेपिस्ट	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-71/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "वन विधि" प्रश्नपत्र-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री पुष्पलता	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री व्ही. एम. नाग	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री सुदर्शन खलखो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री गोविन्द सिंह ध्रुव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-74/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री रिंकी जंघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
2.	श्री हिमांशु गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-81/गृह-दो/परीक्षा/2011.—आदिमजाति कल्याण विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "समाज शास्त्र" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-82/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व, सहायक जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री जय प्रकाश मौर्य	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री कार्तिकेया गोयल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-9-87/गृह-दो/परीक्षा/2011.—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 04 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार कश्यप	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-56/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अरविंद कुमार वासनिक	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री फुलजेन्स टोप्पो	उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	सुश्री किरण खलखो	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री पावरेम मिंज	परि. उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
6.	श्री टेकराम पटेल	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-58/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री रिंकी जंघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री मनोज कुमार चन्देल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
3.	श्री हिमांशु गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-100/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "विद्युत संबंधी विधियां" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री बंशी लाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-101/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र-2 "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री बंशी लाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-102/गृह-दो/परीक्षा/2011.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 02 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "Electrical installation" Paper-III (Without Books) विद्युत संस्थापनायें विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री बंशी लाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
3.	श्री अमरेश दास	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
4.	सुश्री रेखा चौहान	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-106/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्रसंयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रवि प्रकाश गुप्ता	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री जय प्रकाश मौर्य	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	सुश्री रानू साहू	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री शिखा राजपूत	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
7.	श्री कार्तिकेया गोयल	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
8.	श्री सारांश मित्तर	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-63/गृह-दो/परीक्षा/2011.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 02 एवं 03 अगस्त, 2011 को "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्नपत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	सम्मिलित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रवि प्रकाश गुप्ता	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री जय प्रकाश मौर्य	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री रानू साहू	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
4.	श्री कार्तिकेया गोयल	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
5.	श्री सारांश मित्तर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-91/गृह-दो/परीक्षा/2011.—पशु चिकित्सा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. ज्योत्सना पटेल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. गायत्री देवांगन	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	डॉ. उपासना साहू	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

4.	डॉ. सूरज तांती	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. यशवन्त कुमार डहरिया	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	डॉ. कल्पना दुबे	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

7.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार नाग	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	डॉ. भूषण कुमार साहू	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	डॉ. आलोक भार्गव	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)

10.	डॉ. पी. डी. एस. रघुवंशी	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	डॉ. रितेश कुमार जायसवाल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	डॉ. विष्णु दयाल परहा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	डॉ. राम लखन राम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
14.	डॉ. सनत कुमार नायक	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	डॉ. बालेश्वर प्रसाद भगत	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	डॉ. रूपेश कुमार सिंह	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
17.	डॉ. फ्रेंकलिन टोप्पो	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	डॉ. कमला आयम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	डॉ. कुसुम लता श्याम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	डॉ. जगेश्री तिग्गा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	डॉ. ऊषा किरण भगत	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
22.	डॉ. महेन्द्र सिंह मरकाम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
23.	डॉ. सुधीर कुमार मिंज	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
24.	डॉ. उमेश किन्डों	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	डॉ. खेमकरण सिंह सांदिल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
26.	डॉ. लक्ष्मीनारायण जायसवाल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	डॉ. ममता लकड़ा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	डॉ. मधु मिता मिंज	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	डॉ. राधवेन्द्र शर्मा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-9-77/गृह-दो/परीक्षा/2011.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 03 अगस्त, 2011 को प्रश्नपत्र "सामान्य विधि" प्रथम प्रश्नपत्र-2 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री पुष्पलता	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री सुदर्शन खलखो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री व्ही. एन. नाग	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक 2941/वि-3/MANREGA/2011.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, छत्तीसगढ़ निधि नियम 2011 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिवस के अवसान के पश्चात विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कक्ष क्र. 317, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा (32) (2) खण्ड (ड़), (च) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 21 (1) (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा गठित "छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारण्टी निधि" के प्रशासन एवं संचालन हेतु निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, छत्तीसगढ़ निधि नियम 2011" होगा।

1.2 यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ एवं संक्षिप्त रूप

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ निम्नलिखित होगी :

2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से है।

2.2 "राज्य परिषद्" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत् पंजीकृत "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" से है।

2.3 "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत गठित समिति से है।

2.4 "रोजगार गारंटी निधि" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अंतर्गत गठित निधि से है। इस निधि को विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नामों से जाना जाएगा :–

2.3.1 राज्य स्तर पर : अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित "छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गांरटी निधि" जिसे "राज्य निधि" कहा गया है।

2.3.2 जिला स्तर पर : "जिला रोजगार गारंटी निधि" जिसे "जिला निधि" कहा गया है।

2.3.3 जनपद स्तर पर : "जनपद रोजगार गांरटी निधि" जिसे "जनपद निधि" कहा गया है।

2.3.4 ग्राम पंचायत स्तर पर : "पंचायत रोजगार गारंटी निधि" जिसे "पंचायत निधि" कहा गया है।

2.5 "लेखा इंकाई" : छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जनपद के कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को पृथक–पृथक लेखा इकाईयाँ माना गया है।

2.6 उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

संक्षिप्ताक्षर एवं संक्षिप्त रूप

1.	डी.पी.सी.	–	District Programme Co-ordinator (जिला कार्यक्रम समन्वयक / कलेक्टर)
2.	ए.डी.पी.सी.	–	Additional District Programme Co-ordinator (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)
3.	अजा / अजजा	–	Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति)
4.	पी.ओ.	–	Programme Officer (कार्यक्रम अधिकारी)
5.	केन्द्रीय परिषद्	–	Central Employment Guarantee Council (केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद्)
6.	राज्य परिषद्	–	Chhattisgarh State Employment Guarantee Council छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
7.	एनआरईजीए	–	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005
8.	रो.ब.पृष्ठ	–	रोकड़ बही पृष्ठ
9.	स.क्र.	–	सरल क्रमांक
10.	Dr. (डे.)	–	Debit (डेबिट)
11.	Cr. (क्रे.)	–	Credit (क्रेडिट)
12.	एडब्ल्यूपीबी	–	Annual Work Plan and Proposal of Budget (वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव)

3. निधियों की प्राप्ति

3.1 वित्तपोषण

3.1.1 राज्य निधि का वित्तपोषण निम्नानुसार होगा :–

(क) भारत सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली राशि ।

(ख) राज्य शासन द्वारा राज्यांश एवं स्थापना अनुदान के रूप में बजट के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि ।

(ग) अन्य प्रारांगिक प्राप्तियाँ (Incidental Receipts)

3.1.2 अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से, राज्य शासन के प्रस्ताव और पूर्व में विमोचित की गई निधि के उपयोग के आधार पर निधि उपलब्ध होगा।

3.1.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 दिसम्बर तक भारत सरकार की वेबसाइट में लेबर बजट को निर्धारित प्रपत्रों मे ऑनलाईन अद्यतन करते हुए लेबर बजट की विकासखण्डवार सूची व इसके निर्माण की प्रक्रिया का पालन किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

3.1.4 राज्य परिषद् द्वारा जिलों से प्राप्त लेबर बजट को परीक्षण कर समेकित वार्षिक कार्य योजना तथा समेकित बजट प्रस्ताव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तक प्रेषित किया जाएगा।

3.1.5 राज्य परिषद् द्वारा बजट प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों के लिये पूर्व में विमोचित की गई राशि के उपयोग की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी ।

3.1.6 राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के लिये राज्य के बजट में आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा ।

3.1.7 जिलों को राज्यांश राशि का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं में आबंटन **परिशिष्ट–1** में प्रदर्शित अनुपात में किया जाएगा।

4. वित्तीय प्रबंधन

4.1 बैंक खातों का संचालन

4.1.1 इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जमा होने वाले धन के लिए अलग–अलग बैंक खाते खोले जाएंगे। ये खाते भारत सरकार द्वारा योजना के परिचालन हेतु जारी दिशानिर्देशों (Operational Guideline) के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

4.1.2 राज्य निधि से संबंधित बैंक खाते का संचालन आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.3 जिला स्तर पर बैंक खाते का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के तथा जनपद स्तर पर बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.4 ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गए खाते का संचालन सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।

5 अनुदान जारी करने की पद्धति

5.1 अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

5.1.1 योजना अंतर्गत राज्य निधि, जिला निधि हेतु अनुदान/आबंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया एक समान रहेगी।

5.1.2 भारत सरकार से प्राप्त जिलेवार अनुदान राज्य निधि में रखा जाएगा। जिसे जिले से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर जिलों को जारी किया जाएगा।

5.1.3 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष एक वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव भेजना होगा जिसके आधार पर राज्य परिषद् फैसला लेगी कि संबंधित वर्ष के दौरान उस जिले को संभवतः कितनी राशि की आवश्यकता होगी।

5.1.4 वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव की मांग जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत श्रम बजट में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव में इस बात का भी ब्यौरा दिया जाएगा कि जिले को अब तक मिले अनुदानों का किस तरह सदुपयोग किया गया है तथा योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के निर्धारित मानक क्या रहे हैं।

5.1.5 अद्यतन आबंटन/अनुदान के 50 प्रतिशत अंश का सदुपयोग कर लेने के बाद जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य निधि से अगली किश्त जारी किए जाने के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर देगा तथा 60 प्रतिशत व्यय होने पर परिषद् के पास अनुदान के लिए आवेदन करेगा। यह प्रस्ताव योजना के परिचालन दिशा–निर्देश में विहित प्रारूप में होगा। अगली किश्त कंडिका 5.4 में वर्णित शर्तों के पूर्ण करने पर जारी की जाएगी।

5.1.6 भारत सरकार के निर्देशानुसार किश्त के प्रस्ताव ऑनलाईन भी प्रेषित किए जा सकेंगे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा।

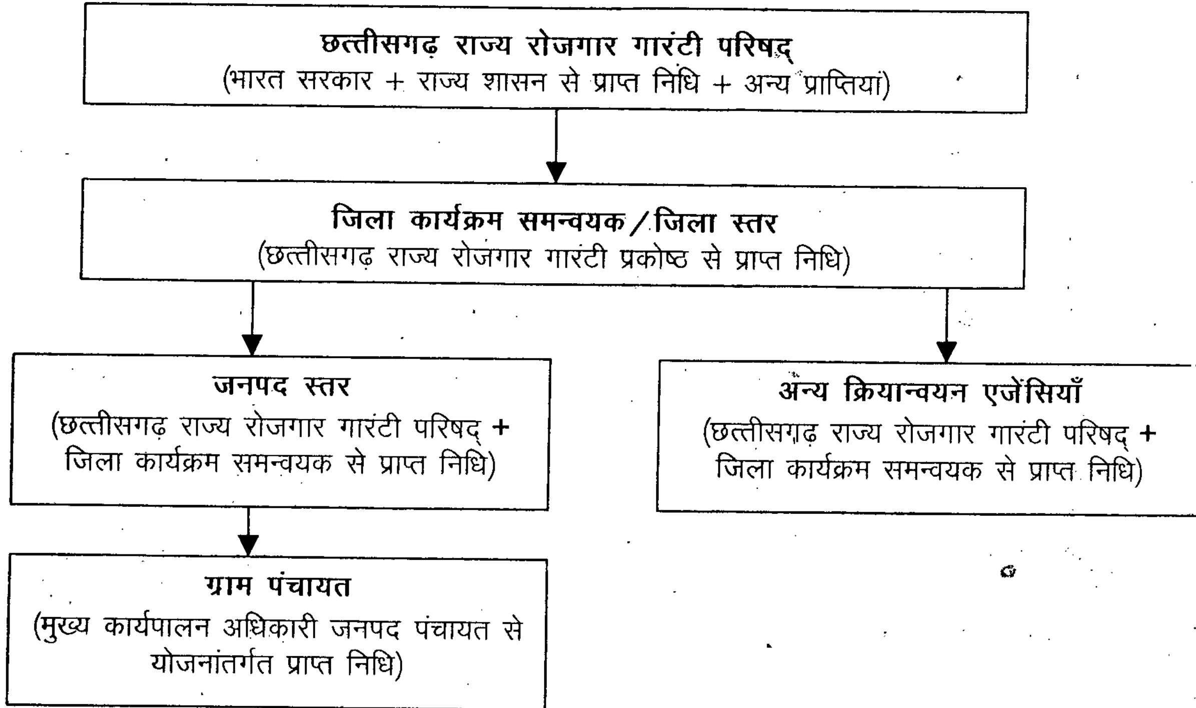
5.1.7 राज्य परिषद् अनुदानों के दुरूपयोग के आधार पर किसी क्रियान्वयन एजेंसी को मिलने वाली सहायता रद्द कर सकती है। उस एजेंसी को मिलने वाली सहायता तभी बहाल की जाएगी जब राज्य परिषद् इस बारे में संतुष्ट हो जाएगी कि संबंधित एजेंसी द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।

5.1.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुदान जारी करेगा। स्वीकृत राशि की जानकारी सभीं त्रिस्तरीय पचायती राज संस्थाओं को अनिवार्यतः दी जाएगी।

5.1.9 भारत सरकार से प्राप्त जिलेवार अनुदान को किसी जिले द्वारा अनुदान का समुचित उपयोग न किए जाने की स्थिति में किसी अन्य जिले को जिसे अनुदान की तत्काल आवश्यकता है, अस्थायी रूप से उच्च सशक्त समिति के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा सकेगा। यह अनुदान राशि भविष्य में समायोजन योग्य रहेगी।

5.2 नि॰ का प्रवाह

• योजनांतर्गत निधियों का प्रवाह निम्नानुसार होगा :–



5.3 अनुदान की पात्रता

5.3.1 उपलब्ध अनुदान/आबंटन के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुदान/आबंटन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

5.4 किश्त/अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक निर्देश

किश्त/अनुदान प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्न तथ्यों का अवश्य ध्यान रखा जाये :–

5.4.1 उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही प्रस्ताव तत्काल राज्य परिषद् को भेजा जाएगा।

5.4.2 विगत वित्तीय वर्ष एवं इस वर्ष के विगत माह तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये। उपयोगिता प्रमाण पत्र में उपलब्ध निधि, प्रतिशत व्यय तथा शेष उपलब्ध राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

5.4.3 जारी वित्तीय वर्ष का जिले का श्रम बजट प्रस्तुत किया जाए।

5.4.4 यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय श्रम बजट से अधिक हो रहा हो तो उसका समुचित कारण प्रस्तुत किया जाए।

5.4.5 विगत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जिसमें समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता तथा अंतिम शेष का सही–सही व स्पष्ट उल्लेख हो।

5.4.6 यह सुनिश्चित किया जाये कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष व इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष एक समान हों।

5.4.7 एम.आई.एस. में डाटा निरंतर अद्यतन रखे जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा एम.आई.एस. डाटा में अंतर न हो।

5.4.8 प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगें :—

(i) उपलब्ध निधि का उपयोग किसी अन्य योजना में न करने संबंधी No Diversion of Fund प्रमाण पत्र।

(ii) राशि का दुरूपयोग न होने संबंधी No Embezzelment of Fund प्रमाण पत्र।

(iii) जिले में विलंबित भुगतान न होने के संबंध में प्रमाण पत्र।

(iv) लोकपाल की नियुक्ति, शिकायतों का निराकरण तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण की अद्यतन स्थिति।

(v) राज्य परिषद् एवं भारत सरकार द्वारा पूर्व में चाही गई कोई अन्य जानकारी अथवा स्पष्टीकरण।

(vi) समस्त संलग्न दस्तावेजों की चेकलिस्ट।

5.4.9 प्रस्तावित राशि का उल्लेख करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र।

5.4.10 उक्त समस्त दस्तावेज स्कैन कराकर ई—मेल द्वारा भी प्रेषित किए जायेंगे।

6. व्यय एवं भुगतान

6.1.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेगी :

(क) अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।

(ख) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा भौतिक लागतों का 75 प्रतिशत अंश।

(ग) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पर प्रशासकीय खर्चे। इनमें कार्यक्रम अधिकारियों तथा उनके सहायककर्मियों के वेतन व भत्ते के साथ—साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का खर्चा भी शामिल होगा।

6.1.2 राज्य सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेंगी :—

(क) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा सामग्री व्यय का 25 प्रतिशत अंश।

(ख) यदि राज्य सरकार 15 दिन के भीतर किसी आवेदक को रोजगार नहीं दे पाती है तो उसको दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता, परंतु यह राशि जिम्मेदार/दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूलनीय होगी।

(ग) राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के प्रशासकीय खर्चे, निर्धारित सीमा के अंतर्गत।

भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप व्यय एवं भुगतान की सीमा/प्रावधान परिवर्तनीय रहेगी।

6.2 रोजगार गारंटी निधि के संवितरण अधिकारी नीचे अंकित अनुसार होंगे :—

राज्य स्तर पर	:—	आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त)
जिला स्तर पर	:—	जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद स्तर पर	:—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पचायत व कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से
ग्राम पंचायत स्तर पर	:—	सरपंच एवं सचिव सयुक्त रूप से

6.3 रोजगार गारंटी निधि के धनादेश के निधिपाल (Custodian) नीचे अंकित अनुसार होंगे :—

राज्य स्तर पर	:—	लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य परिषद्
जिला स्तर पर	:—	लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
जनपद स्तर पर	:—	लेखापाल कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
ग्राम पंचायत स्तर पर	:—	पंचायत सचिव

6.4 समस्त वसूलियां एवं भुगतान संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी पर एवं उनके द्वारा किए गए माने जाएंगें।

6.5 निधि से संव्यवहार हेतु प्रत्येक अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त तथा भुगतान की गई राशि की लेखों में दैनिक प्रविष्टि एवं लेखों की शुद्धता के बारे में पूर्णरूपेण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

6.6 योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाला अधिकारी, जब तक निधि का लेखा राज्य परिषद् को उसकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करता, निधि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। भुगतान अधिकृत व्यक्तियों को ही किया गया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसी अधिकारी की होगी।

6.7 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा

6.8 यदि प्रदाय आदेश (Supply Order) मे प्रावधानित हो, तो मुख्यालय से बाहर के भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट से भी किए जा सकते हैं ।

6.9 रूपये 500 एवं उससे अधिक के सभी भुगतान धनादेश के माध्यम से किए जाएंगे।

6.10 रूपये 1000 एवं उससे अधिक के सभी धनादेशों को रेखांकित कर "एकाउंट पेयी" (Account Payee) अंकित किया जाएगा ।

7. लेखा प्रणाली

सभी लेखा इकाईयों में इस योजना के संधारण के लिए पृथक से कैश बुक, लेजर, धनादेश निर्गमन पंजी, बैंक समाशोधन पंजी, आय–व्यय पत्रक, बैलेंस शीट एवं इससे संबंधित समस्त आवश्यक पंजियाँ संधारित की जाएगी, जिनमे से कुछ का प्रारूप **परिशिष्ट–2** में प्रदर्शित है।

7.1 लेखाँकन

7.1.1 योजनान्तर्गत लेखा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अनुसार संधारित किया जाएगा।

7.1.2 योजना की मुख्य गतिविधियां श्रमिकों को रोजगार प्रदाय करना एवं निर्माण से संबंधित है अतः मस्टररोल, रोजगार पंजी, परिसंपत्ति पंजी, मजदूरी एवं सामग्री भुगतान पंजी आदि पुस्तकों का संधारण भारत सरकार के परिचालन दिशानिर्देश अनुसार किया जाएगा।

7.1.3 खातों मे उपलब्ध राशि को केवल तभी खर्च किया जा सकता है जब उन कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। अगर इस तरह की स्वीकृति से पहले कोई खर्च किया जाता है तो उसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी।

7.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के नियम 3 (1) के तहत सामाजिक अंकेक्षण कराना क्रियान्वयन एजेंसियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7.1.5 क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का किसी अन्य मद में या कार्य में उपयोग नहीं किया गया है। अन्य मदों/कार्यों में उपयोग किए जाने पर इसे अनियमित माना जाएगा और संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 लेखा शीर्ष तथा लेखों की सारणी

योजनांतर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा शीर्षों का वर्गीकरण तथा लेखाँकन 'परिशिष्ट – 3" में प्रस्तुत सारणी अनुसार किया जाएगा।

7.3 रोकड़ का सत्यापन :

7.3.1 संवितरण अधिकारी द्वारा अपनी रोकड़ बही में की गई सभी प्रविष्टियों की दैनिक जांच की जाएगी तथा प्रविष्टियों पर लघु हस्ताक्षर के साथ अंतिम प्रविष्टि पर दिनांकित हस्ताक्षर किए जाएंगे। मासिक लेखों का सत्यापन आगामी माह के 10 तारीख तक किया जाएगा।

7.3.2 अधिकारी द्वारा किये जाने वाले सत्यापन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं :–

(1) व्हाऊचरों में दर्शाई गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का प्रभारित कुल राशि से मिलान किया जाएगा और उसी समय यह भी देखना होगा कि उनके द्वारा अभिलेखित भुगतान आदेश व्हाऊचर पर अंकित है एवं स्वयं अथवा प्राधिकृत अधीनस्थ के हस्ताक्षर का संवितरण प्रमाण पत्र अंकित है।

(2) भुगतान पक्ष में व्हाऊचरों की प्रविष्टियों की जांच करते समय देखा जाएगा कि व्हाऊचरों में दर्शाई गई सभी कटौतियों की प्रविष्टि रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में भी कर दी गई है।

7.3.3 बैंक को प्रेषित की गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान बैंक जमा पर्ची एवं बैंक पास बुक से करना होगा एवं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राशि वास्तव में बैंक खाते में जमा हो गई है।

7.3.4 रोकड़ बही के बैंक शेष तथा बैंक खाते के शेष का मिलान होना चाहिये। यदि रोकड़ बही के शेष और बैंक खाते के शेष में कोई अंतर हो तो उसके मिलान के लिये बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement) तैयार किया जाएगा।

7.3.5 रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें दिनांक, व्हाऊचर का क्रमांक एवं कार्य का नाम और लेन–देन की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण दिया जाना होगा।

7.3.6 रोकड़ बही नें लेन–देन अनिवार्य रूप से घटनाक्रम के अनुसार ही प्रविष्टि किया जाना होगा।

7.3.7 भुगतान हेतु व्हाऊचरों को प्रतिमाह अलग श्रृखंला में क्रमानुसार क्रमांकित किया जाना चाहिये और रोकड़ बही में लेनदेन की प्रविष्टि के साथ ही व्हाऊचर पर सरल क्रमांक अंकित किया जाना होगा।

7.3.8 सभी भुगतानों को अनिवार्य रूप से उस कार्य अथवा सेवा, जिनके लिये भुगतान किया गया है, को डेबिट किया जाना होगा।

7.3.9 रोकड़ बही के पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित होने चाहिये एवं प्रमाणीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए।

7.3.10 रोकड़ बही की कोई भी पंक्ति खाली नही छोड़ी जावे। यदि कोई पृष्ठ आधा उपयोगित होता है और शेष पृष्ठ खाली छूट गया है तो खाली जगह को निरस्त करने के लिये तिरछी रेखा खींच देना होगा ताकि उसके बाद कोई भी प्रविष्टि किए जाने की संभावना न रहे।

7.3.11 प्रविष्टियों में प्रक्षेप (Insertion) यथा संभव नही किया जावे। यदि दो पंक्तियों के मध्य प्रविष्टि करना या कुछ जोड़ना अथवा पूर्व में की गई दो प्रविष्टियों के मध्य प्रक्षेप करना आवश्यक हो तो ऐसी प्रविष्टि या प्रक्षेप सदैव अधिकारी के दिनांकित लघु हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होगा।

7.4 यदि धनादेश (चेक) को निरस्त किया जाना आवश्यक हो

7.4.1 ऐसे प्रकरण में जहां धनादेश जारी नहीं किया गया है, धनादेश पर ही दिनांकित हस्ताक्षर सहित "**निरस्त**" अभिलेखित किया जाना होगा।

7.4.2 यदि धनादेश जारी हो चुका है तो उसे वापिस लेकर निरस्त किये जाने का उल्लेख मूल धनादेश पर इस प्रकार किया जाना होगा कि मूल धनादेश डिफेस (Deface) हो जाए। रोकड़ बही (Cash Book) में की गई पूर्व प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टियां भी किया जाना होगा।

7.4.3 यदि धनादेश, धनादेश काटने वाले अधिकारी के पास नही है तो ऐसी स्थिति में रोकड बही में निरस्तीकरण की प्रविष्टियां करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोक देने (Stop Payment) का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

7.4.4 यदि धनादेश का भुगतान किसी भी कारण से जारी करने के माह से छः माह तक नही हो पाता और उसे नया धनादेश जारी करने के लिये समर्पित भी नही किया जाता है तो कंडिका 7.4.3 में दर्शाए गये प्रक्रिया के अनुसार उसे निरस्त कर दिया जाना होगा।चैक से संबंधित राशि रोकड़ बही में राइट बैक (Write Back) किया जाना होगा।

7.4.5 नवीनीकरण के लिये प्राप्त कालातीत (Time Barred) धनादेश को नष्ट नही किया जाना चाहिये। इस कार्य हेतु रोकड़ बही में संशोधन न करते हुये, रोकड़ बही में लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टी किया जाना होगा। कालातीत चेक, धनादेश जारी करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से, निरस्त किया जाना होगा। निरस्त किये गये धनादेश को उसके बदले मे जारी किये गये धनादेश का व्हाऊचर माना जाना होगा। तथा नया धनादेश जारी करने का उल्लेख उस पर भी किया जाना होगा।

7.4.6 यदि खोए हुए धनादेश के बदले में नया धनादेश जारी करने के लिये आवेदन प्राप्त होता है तो नया धनादेश जारी करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोकने (Stop-Payment) के प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं रोकड़ बही में इसकी लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टी किया जाना होगा। खोए हुये धनादेश के निरस्तीकरण, नवीन धनादेश जारी करने की टीप रोकड़ बही की मूल प्रविष्टी के सामने भी अंकित किया जाना होगा।

7.4.7 यदि खोए गए धनादेश पर भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो तत्काल संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की जायें।

7.5 धनराशि की प्राप्ति

7.5.1. धनराशि प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टी रोकड़ बही के प्राप्ति कॉलम में ही अंकित किया जाये। स्थानीय बैंको द्वारा जारी किये गये बैंक धनादेश ड्राफ्टों के लिये, जब तक वे समाशोधित (Cleared) नही हो जाते, भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद न दिया जाये।

7.5.2 प्राप्त की गई राशि की नियमानुसार रसीद दी जाए एवं उसी दिन अधिकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि राशि की प्राप्ति रोकड़ बही में अभिलेखित कर ली जाये।

7.5.3 अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि को आगामी कार्यदिवस में बैंक में जमा करना होगा।

7.6 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि :-

7.6.1 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि आगे दी गई तालिका में दर्शित है, लेकिन अभिलेखों का नष्ट करने से पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात् भी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

(i) यदि कार्य अपूर्ण है तो निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।

(ii) उन मामलो से संबंधित दस्तावेज जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित हैं, निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।

(iii) कर्मचारियों की सेवा संबंधी दावे, दस्तावेज एवं व्यक्तिगत मामलों की जानकारी जिनका संबंध सेवा से है निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।

(iv) दस्तावेजों को नष्ट करने के लिये आयुक्त से नष्ट किये जाने वाले दस्तावेजों के विवरण सहित स्वीकृति ली जानी चाहिये।

(v) कोई भी लेखा–जोखा या दस्तावेज, जिसका अंकेक्षण महालेखाकार, स्थानीय निधि संपरीक्षा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है, को नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका अंकेक्षण नहीं हो जाता और अंकेक्षण की आपत्तियां दूर नहीं कर ली जाती।

(vi) उपरोक्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने संबंधी सूची व्यापक या अंतिम नहीं है। कोई दस्तावेज, जिसकी भविष्य में कोई आवश्यकता नही पड़ने वाली है, को भी नष्ट नही किया जा सकता है, बशर्तें कि संबंधित कर्मचारी जिम्मेदारी लें और आयुक्त से विधिवत् आदेश प्राप्त कर लिये गये हो।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की न्यूनतम अवधि :–

क्र	दस्तावेजों का विवरण	सुरक्षित रखने का समय
1	रोकड़ बही	स्थाई
2	वेतन देयक एवं पावती पत्रक	स्थाई
3	यात्रा भत्ता देयक एवं पावती पत्रक	5 वर्ष
4	डाक टिकट से संबंधित लेखा	5 वर्ष
5	मृत स्कंध पंजी (Dead Stock)	स्थाई
6	प्रमाणक (व्हाऊचर)	स्थाई
7	अग्रिम स्वीकृति संबंधी दस्तावेज	5 वर्ष
8	शासकीय आदेश	स्थाई
9	निविदाओं (Quotatians) का तुलनात्मक पत्रक	स्थाई
10	माप पुस्तिका	स्थाई
11	जमा एवं अग्रिम पंजी (Register of Deposits & Advances)	स्थाई

8. लेखा परीक्षा

8.1 निधियों की लेखापरीक्षा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट – 1

जिलों को राज्यांश राशि का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं में आवंटन का अनुपात

क्र	जिले का नाम	सामान्य (50 प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (38 प्रतिशत)	अनुसूचित जाति उपयोजना (12 प्रतिशत)
		मुख्य शीर्ष 30	मुख्य शीर्ष 41	मुख्य शीर्ष 64
1	2	3	4	5
1	बस्तर	23	70	7
2	बिलासपुर	58	20	22
3	दंतेवाड़ा	22	72	6
4	धमतरी	66	26	8
5	जशपुर	30	62	8
6	कांकेर	39	55	6
7	कवर्धा	67	19	14
8	कोरिया	39	55	6
9	रायगढ़	56	30	14
10	राजनांदगांव	62	28	10
11	सरगुजा	38	55	7
12	जांजगीर–चापां	65	10	25
13	कोरबा	37	53	10
14	महासमुंद	59	27	14
15	रायपुर	68	12	20
16	दुर्ग	71	14	15
17	नारायणपुर	22	73	5
18	बीजापुर	14	80	6

परिशिष्ट–2

लेखा इकाईयों में संधारित की जाने वाली आवश्यक पंजियों का प्रारूप

प्रपत्र : 1

रोकड़ बही (Cash Book)

कार्यालय का नाम .... माह .... वर्ष..........................

प्राप्ति पक्ष (डेबिट)

दिनाँक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

भुगतान पक्ष (क्रेडिट)

दिनाँक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र : 2

लेजर (खाता)

नाम खाता ....

माह...................... वर्ष..................

दिनाँक	विवरण	रो.ब. फोलियो क्र.	नामे खाता (डे.)	जमा खाता (क्रे)	शेष राशि
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र : 3

तुलन पत्र (Trial Balance)

कार्यालय का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

क्रमांक	विवरण	ले.फो. क्र.	राशि (डे.)	राशि (क्रे.)
1	2	3	4	5

प्रपत्र : 4

बैंक समाशोधन पत्र

Bank Reconciliation Statement

जिला /जनपद/ ग्राम पंचायत/एजेंसी का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

बैंक का नाम (बैंक कोड) .... IFSC कोड ....

खाता क्रमांक ....

विवरण	राशि
(अ) रोकड़ बही (कैश बुक) के अनुसार शेष	
जोड़ें	
(i) बैंक में सीधे जमा चैक/नगद/ड्राफ्ट	
(ii) बैंक द्वारा जारी ब्याज जिसकी प्रविष्टि नहीं हुई है	
(iii) जारी चैक-जो बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए	
(iv)	
योग (ब)	
घटाएँ	
(i) बैंक द्वारा विकलित प्रभार शुल्क	
(ii) बैंक में जमा चैक जो क्रेडिट नहीं किए गए	
(iii)	
योग (स)	
(ब) बैंक विवरणिका (पास बुक) के अनुसार शेष (अ + ब − स)	

प्रपत्र –5

संस्था का नाम..........................

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

अवधि ....से .... तक

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. प्रारंभिक शेष		1. एजेंसियों को अग्रिम	
(अ) हस्तगत रोकड़ (संस्था में)		(अ) जिला पंचायत	
(ब) बैंक शेष		(ब) जनपद पंचायत	
(स) एजेंसी के पास शेष		(स) ग्राम पंचायत	
2. अनुदान की प्राप्ति		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(अ) भारत सरकार से		2. योजना पर व्यय	
(ब) राज्य सरकार से		(अ) जिला पंचायत	
(स) अन्य प्राप्तियां		(ब) जनपद पंचायत	
3. ब्याज प्राप्ति		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		3. जारी अनुदान	
(स) जनपद पंचायत स्तर पर		(अ) जिला पंचायत	
(द) क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर		(ब) जनपद पंचायत	
4. विविध		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		4. प्रशासनिक / अन्य व्यय	
5. अग्रिम / ऋण / अनुदान की वापसी		(अ) वेतन / मानदेय	
(अ) जिला पचायतों से		(ब) अंकेक्षण शुल्क	
(ब) जनपद /ग्राम पंचायतों से		(स)	
(स) अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों से		(द)	
		5. अंतिम शेष राशि	
		(अ) हस्तगत रोकड़	
		(ब) बैंक शेष	
		(स) एजेंसी के पास शेष	
योग		योग	

प्रपत्र : 6

चिट्ठा (Balance Sheet)

कार्यालय का नाम ....

(दिनांक .... की स्थिति में)

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
1	2	3	4
सामान्य निधि		स्थायी सम्पत्ति	
प्रारंभिक शेष =		अग्रिम	
(+) वर्ष में प्राप्त		**रोकड़, बैंक शेष**	
(–) यदि कुछ हो		हस्तगत रोकड़	
		बैंक शेष	
अन्य दायित्व		अन्य संपत्तियाँ	
(अ)			
(ब)			
(स)			
(द)			
योग		**योग**	

(परिशिष्ट–3)

लेखों की सारणी (लेखाँकन एवं वर्गीकरण)

	लेखांकन			
क्र	डेबिट	क्रेडिट	लेखा शीर्ष क्रमांक	संचालनकर्ता
1.	**निधि (प्राप्ति)**			
1.01		छत्तीसगढ़ रोजगार गांरटी निधि में भारत सरकार से प्राप्त राशि	1.01	राज्य परिषद्
1.02		छत्तीसगढ़ रोजगार गांरटी निधि में राज्य शासन से प्राप्त राशि	1.02	राज्य परिषद्
1.03	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (केन्द्रीय अंश)		1.03	राज्य परिषद्
1.04	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (राज्य अंश)		1.04	राज्य परिषद्
1.05		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (केन्द्रीय अंश)	1.05	एडीपीसी
1.06		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (राज्य अंश)	1.06	एडीपीसी
1.07		भारत सरकार से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.07	एडीपीसी
1.08		राज्य शासन से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.08	एडीपीसी
1.09	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि		1.09	एडीपीसी
1.10	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पंचायत) को स्थानांतरित राशि		1.10	एडीपीसी
1.11		जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.11	पी.ओ
1.12	जनपद रोजगार गारंटी निधि से रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पचायत) को स्थानांतरित राशि		1.12	पी.ओ
1.13		जिला रोजगार गारंटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम पंचायत) में प्राप्त राशि	1.13	जी.पी
1.14		जनपद रोजगार गांरटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम पंचायत) में प्राप्त राशि	1.14	जी.पी
1.15		सृजित हुई प्रासंगिक (इंसीडेंटल) निधि (1) बैंक से प्राप्त ब्याज (2) विविध प्राप्तियां	1.15	सभी संबंधित

		प्रासंगिक निधि का योग		
2.	**प्रेषण की जाने वाली कटौतियां**			
2.1		कर्मचारियों से प्रेषण योग्य कटौतियां	2.01	सभी संबंधित
3.	**पुनर्भुगतान योग्य जमा**			
3.1		विविध जमा	3.01	सभी संबंधित
4	**योजना क्रियान्वयन (व्यय)**			
	प्रत्यक्ष व्यय			
4.1	मजदूरी – अकुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.01	पीओ / जीपी
4.2	मजदूरी – अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.02	पीओ / जीपी
4.3	मजदूरी – अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (राज्य अंश)		4.03	पीओ / जीपी
	कुल मजदूरी – अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक			
4.4	सामग्री (केन्द्रीय अंश)		4.04	पीओ / जीपी
4.5	सामग्री (राज्य अंश)		4.05	पीओ / जीपी
	कुल सामग्री			
	आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
4.6	श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएं		4.06	पीओ / जीपी
4.7	श्रमिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान		4.07	पीओ / जीपी
4.8	श्रमिकों का चिकित्सा व्यय		4.08	पीओ / जीपी
	कुल आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
	प्रत्यक्ष व्यय का योग			
5.	**बेरोजगारी भत्ता**		5.01	जी.पी
6.	**सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां**		6.01	पीओ / एडीपीसी
7.	**अन्य योजना व्यय**			
7.1	संचार एवं प्रचार व्यय		7.01	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.2	योजना एवं तकनीकी सहायता व्यय		7.02	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.3	प्रशिक्षण व्यय		7.03	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.4	पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यय		7.04	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.5	लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय		7.05	राज्य परिषद् / एडीपीसी
	अन्य योजना व्यय का योग			
8.	**प्रशासनिक व्यय**			
8.1	वेतन एवं भत्ते i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.01	सभी संबंधित
8.2	यात्रा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.02	सभी संबंधित
8.3	चिकित्सा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.03	सभी संबंधित

	आकस्मिक व्यय			
8.4	पी.ओ.एल.		8.04	सभी संबंधित
8.5	वाहनों का किराया प्रभार		8.05	सभी संबंधित
8.6	छपाई एवं लेखन सामग्री		8.06	सभी संबंधित
8.7	फोटोकॉपी एवं टंकण		8.07	सभी संबंधित
8.8	डाक एवं कोरियर		8.08	सभी संबंधित
8.9	बैंक प्रभार		8.09	सभी संबंधित
8.10	अन्य व्यय		8.10	सभी संबंधित
	कुल आकस्मिक व्यय **i. केन्द्रीय अंश** **ii. राज्य अंश** योग			
	प्रशासनिक व्यय का योग			
9.	**पूंजीगत व्यय**			
9.1	परिसंपत्तियों का क्रय		9.01	सभी संबंधित
10	**वसूली योग्य अग्रिम**			
10.1	अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अग्रिम		10.01	पी.ओ
10.2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		10.02	सभी संबंधित
10.3	कर्मचारियों से वसूली योग्य		10.03	सभी संबंधित
10.4	कर्मचारियों को अस्थाई अग्रिम		10.04	जी.पी
	वसूली योग्य अग्रिमों का योग			
11.	**रोकड़ एवं बैंक शेष**			
11.1	रोकड़ शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि योग		11.01	सभी संबंधित
11.2	बैंक शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि योग		11.02	सभी संबंधित

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/308.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	खम्हरिया प.ह.नं. 03	0.053	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	मलनी वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/309.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बंदोरा प.ह.नं. 08	0.061	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	करिगांव माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक/21/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 48 अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	केन्द्री प. ह. नं. 21	83/3	0.010	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नयी रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (रेल्वे लाईन) हेतु.
			84/4	0.060		
			84/8	0.030		
			85/2	0.040		
			86/1	0.070		
			86/2	0.040		
			102/2	0.110		
			102/3	0.040		
			102/7	0.060		
			102/8	0.080		
			102/10	0.040		
			102/12	0.040		
			102/26	0.080		
			102/29	0.050		
			102/30	0.040		
			588/3, 592/3	0.421		
			592/1	0.250		
			592/8	0.080		
			592/10	0.090		
			592/11	0.010		
			593/3	0.120		
			593/4	0.080		
			593/7	0.100		
			594/1	0.450		
			595/2	0.240		
			595/3	0.050		
			595/4	0.340		
			595/6	0.170		
			595/7	0.290		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			600/3	0.020		
			601/2	0.099		
			602/1	0.060		
			603/1	0.040		
			604/1, 604/2	0.010		
		योग	**34**	**3.710**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक/22/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 03 अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रमचण्डी प. ह. नं. 72/15	295/10	0.131	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर अंतर्गत एयरपोर्ट विस्तार कार्य हेतु.
			295/13	0.089		
			295/14	0.162		
			295/15	0.137		
			295/16	0.162		
			295/17	0.182		
			295/18	0.117		
			295/19	0.141		
			295/20	0.087		
			295/21	0.040		
			295/22	0.020		
			295/27	0.774		
			689/1	0.185		
			689/2	0.141		
		योग	**14**	**2.368**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्रमांक/23/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02 अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73/14	392	0.110	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर अंतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु.
			1369/2	0.030		
			1370	0.070		
			1371	0.440		
			1373/1	0.049		
			1373/2	0.030		
			1374	0.016		
			1375	0.070		
			1376	0.016		
			1392	0.020		
			1393/1	0.150		
			1393/2	0.120		
			1394/1	0.119		
			1405/1	0.040		
			1406/1	0.305		
			1407/1	0.087		
			1410/1	1.104		
			1411	0.050		
			1412	0.020		
			1413/1	0.190		
			1413/2	0.120		
			1413/3	0.486		
			1413/5	0.274		
			1414	0.131		
			1477/9	0.280		
			1478/2	0.020		
			1478/3	0.065		
			1478/4	0.160		
			1478/5	0.069		
			1478/6	0.050		
			1479/1	0.057		
			1479/2	0.190		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1480	0.150		
			1481	0.170		
			1482/4	0.060		
			1530/1	0.012		
			1530/4	0.016		
			1531/1	0.227		
			1531/2	0.130		
			1532/1	0.030		
			1534/2	0.030		
			1553	0.014		
			1554	1.450		
			1556/1	0.070		
			1556/2	0.210		
			1557/1	0.252		
			1557/3	0.075		
			1559/1	0.081		
			1559/3	0.066		
			1567/2	0.266		
		योग	51	16.717		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक/31/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 29 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	23	0.14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु.
			24	0.05		
			25	0.11		
			49/1	0.96		
			62	0.34		
			92	0.25		
			101	0.72		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			102	0.28		
			451	0.22		
			452	0.22		
			453	0.20		
			454	1.30		
			1540	0.25		
			1543	0.44		
			1589	0.72		
			1590	0.41		
			1748	0.14		
			1750	0.24		
			1753	0.15		
			1767	0.19		
			1839	0.16		
			1840/1	0.11		
			1845	0.11		
			1846	0.03		
			1851	0.10		
			1852	0.09		
		योग	26	7.93		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक/32/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 50 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	सेमरा प. ह. नं. 33	696/1	0.25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर जल प्रदाय योजना के अंतर्गत इनटेकवेल निर्माण कार्य हेतु.
		योग	1	0.25		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक/33/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 55 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137/16	4	0.22	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर में नॉलेज पार्क निर्माण हेतु.
			87	0.29		
			110	0.16		
			117/1	0.13		
			124	0.18		
			127	0.20		
			144	1.06		
			148	0.15		
			1546	0.16		
			1596	0.15		
			1565/1	0.17		
			1565/2	0.17		
		योग	**12**	**3.04**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक/35/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 01अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रिको प. ह. नं. 21	51/2	0.01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (मंदिरहसौद-केन्द्री रेलवे लाईन) हेतु.
			51/3	0.01		
		योग	**2**	**0.02**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलौनीकला, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1736/6	0.008
योग	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-शाखा क्र. 24 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-बनाहील, प.ह.नं. 04
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.044 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
767/2	0.044
योग	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 14 के माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-सोनाडुला, प.ह.नं. 01
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
145	0.068
योग	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प.ह.नं. 05
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/3	0.028
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 14 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-माहुलडीह, प.ह.नं. 05
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	148/2	0.016
योग		0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 16 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-बेलटीकरी, प.ह.नं. 12
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	53/5	0.020
	53/4	0.020
	53/2	0.012
	53/1	0.012
	63/1	0.016
	63/2	0.016
	53/3	0.012
	62/1	0.032
योग	08	0.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 18 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-बिलाईगढ़
   (ग) नगर/ग्राम-दुरूमगढ़, प.ह.नं. 12
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154/1ब	0.120
157/1	0.037
161, 162, 163 (2)	0.020
157/12	0.036
योग 04	0.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 18 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कैथा, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/5	0.056
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मड़कड़ी, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
882	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 12 के 47 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बेलमुड़ी, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	155	0.036
योग		0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 14 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-गोरबा, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4	0.110
	11/6	0.085
	104	0.045
	105	0.040
योग	4	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शाखा क्र. 14 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बिलाईगढ़, प.ह.नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	685/1	0.008
	685/10	0.020
	685/8	0.010
	685/9	0.010
	686	0.020
	694/1	0.016
योग	6	0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पवनी बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्रमांक/34/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 4 अ./82 वर्ष 2008-09.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसट्ठी, प.ह.नं. 136/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
374	0.15
375	0.33
376	0.11
377	0.27
378	0.12
379	0.08
380	0.30
381/1	0.15
381/2	0.30
382	0.33
383	0.11
384	0.78
385/1	0.24
385/2	0.08
385/3	0.18
385/4	0.13
385/5	0.13
385/6	0.11
385/7	0.11
385/8	0.16
385/9	0.16
386/1	0.25
386/2	0.10
386/3	0.16
386/4	0.24
386/5	0.25
386/6	0.08
387	0.11
388	0.10
389	2.43
390	0.10
391/1	0.99
391/2	0.65
392/1	0.01
392/2	0.70
393/1	0.06
393/2	0.21
394/1	0.08
394/2	0.65
395/1	0.01
395/2	0.04
395/3	0.02
395/4	0.15
395/5	0.24
395/6	0.14
395/7	0.13
395/8	0.10
395/9	0.07
395/10	0.13
395/11	0.14
395/12	0.24
395/13	0.15
395/14	0.10
395/15	0.07
396	0.70
402	0.17
403	0.51
406	0.13
408	0.18
410/1	0.03
410/3	0.40
411	3.42
412	3.50
413/1	0.48
413/2	3.79
414	0.51
415	0.92
418	2.76

(1)	(2)
419	2.05
420	2.45
योग 70	35.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना में शैक्षणिक संस्था के विकास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन क्रमांक 17 /अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा, प.ह.नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
796	0.057
785	0.085
793	0.032
366	0.648
योग 4	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोतासुरा जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 74/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कांशीचुआ, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
76, 105/2	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कांशीचुआं पण्डरीपानी कोड़तराई मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 75/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा, प.ह.नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.343 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	367/1	0.004
	357	0.053
	360	0.024
	367/4	0.024
	366/1	0.028
	359/2	0.024
	369	0.049
	366/7	0.036
	356/1	0.005
	356/3	0.023
	358/2	0.032
	366/2	0.041
योग	12	0.343

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-लेवड़ा चारभाठा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 76/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प.ह.नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.546 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	417	0.057
	423/9	0.093
	421	0.255
	462/7	0.012
	464/[illegible]	0.032
	462/4, 4[illegible]	0.016
	464/5	0.057
	462/[illegible]	0.024
योग	9	0.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कांशीचुआं पण्डरीपानी कोड़तराई मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 7/अ 67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कसडोल, प.ह.नं. 38, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कसडोल, प.ह.नं. 38, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित हैं, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-कसडोल	109	0.104	0.26
		प.ह.नं. 38	110/2	0.104	0.26
			110/3	0.112	0.28
			107	0.088	0.22
			106	0.168	0.42
			98/1	0.056	0.14
			98/2	0.248	0.61
			156/2	0.13	0.32
			156/4	0.046	0.11
			157/1	0.036	0.09
			157/2	0.088	0.22
			158	0.072	0.18
			228/2	0.1	0.25
			228/3	0.09	0.22
			228/6	0.093	0.23
			225/2	0.16	0.40
			227/1, 227/6	0.292	0.72
			227/4, 227/5	0.148	0.37
			217/1	0.06	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			218/2	0.12	0.30
			218/1	0.072	0.18
			188/1	0.16	0.40
			188/4	0.072	0.18
			188/6	0.042	0.10
			199/1	0.047	0.12
			198/1, 198/2	0.15	0.37
			198/5	0.05	0.12
			193/2	0.215	0.53
			193/4	0.025	0.06
			194/1	0.08	0.20
			195/2k	0.184	0.45
			195/2kha	0.064	0.16
		योग	35	**3.476**	**8.620**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 8/अ 67/2011-12.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गोढ़ी, प.ह.नं. 38, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 32, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम गोढ़ी, प.ह.नं. 38, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने

आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-गोढ़ी	80/1	0.077	0.19
		प.ह.नं. 38	82/2	0.080	0.20
			82/2		0.00
			83	0.036	0.09
			106/1	0.008	0.02
			106/2		0.00
			109/3	0.004	0.01
			121	0.044	0.11
			122	0.029	0.07
			133/1	0.074	
			133/2		0.18
			136/1	0.130	
			136/2क, 136/2ख		0.32
			137/1	0.028	
			137/2		0.07
			138	0.080	0.20
			141	0.004	0.01
			142	0.040	0.10
			143	0.019	0.05
			306/1	0.010	
			306/2		
			306/3		0.02
			308	0.130	0.32
			309/1		
			309/2		
			309/3क	0.070	
			309/3ख		0.17
			311/1	0.010	
			311/2		0.02
			312/1	0.080	0.20
			312/2	0.120	
			312/3		0.30
			315/1, 315/2, 315/3, 321/2, 324, 325/1, 324, 325/2, 324, 325/3, 324, 325/4, 324, 325/5, 324, 325/6, 324, 325/7, 324, 325/8, 324, 325/9 324, 325/10, 324, 325/11,		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			324, 325/12, 324, 325/13, 324, 325/14, 324, 325/15, 324, 325/16, 324, 325/17, 324, 325/18, 324, 325/19, 324, 325/22	0.360	0.89
			417	0.060	0.15
			418/1		
			418/2	0.112	
			418/3		0.28
			423/1	0.090	
			423/2		0.22
			426/1क	0.012	
			426/1ख		0.03
			426/3क	0.240	
			426/3ख		0.59
			426/4क		
			426/4ख	0.076	
			426/4ग		
			426/4घ		0.19
			427	0.040	0.10
			430/1	0.080	
			430/2		0.20
			431	0.360	0.89
		योग	95	2.503	6.190

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

घरघोड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 9/अ 67/2011-12.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 30, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) से जल परिवहन हेतु ग्राम सलिहाभांटा, प.ह.नं. 32, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, पोस्ट तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछायी जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम सलिहाभांठा, प.ह.नं. 30, तह. तमनार, जिला-रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	ग्राम-सलिहाभांठा	520/6ख/1	0.184	0.455
		प.ह.नं. 30	520/7	0.080	0.200
			520/9क/1		
			520/9क/2	0.080	
			520/9क/3		0.200
			524/4	0.020	0.049
			526	0.056	0.138
			528/7	0.030	0.070
		योग	**08**	**0.450**	**1.112**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ. ग.) में देखा जा सकता है.

ए. के. वैष्णव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)